मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27/04/2018

क्रमांक: एफ 2-12/2016/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया कि महिला उद्यिमयों द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले स्टार्टअप्स को अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा किराया अनुदान दिया जा सकता है, तदानुसार मध्यप्रदेश इन्क्यूबेशन एण्ड स्टार्टअप पॉलिसी, 2016 में 6.1 पॉलिसी के खण्ड IV ब (i) ब्याज अनुदान के पैरा को निम्न पैरा से प्रतिस्थापित किया जावे :

"पात्र स्टार्टअप को अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के भुगतान हेतु ब्याज दर पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तीन वर्ष हेतु रूपये 4.00 लाख की अधिकतम सीमा तक ब्याज अनुदान प्रदान किया जावेगा । महिलाओं द्वारा प्रारंभ् किए गये स्टार्टअप के लिये अनुदान की अधिकतम सीमा रूपए 5.00 लाख होगी।"

6.2 पॉलिसी के खण्ड IV ब (i) लीज/किराया अनुदान के पैरा को निम्न पैरा से प्रतिस्थापित किया जावे :

"इन्क्यूबेटर्स में संचालित राज्य की स्टार्टअप इकाइयां लीज किराये के 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिए तीन साल की अवधि हेतु अधिकतम रूपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष की सीमा के अधीन इन्क्यूबेटरों को किराया अदा करने के दिनांक से पात्र होंगे । महिलाओं द्वारा प्रारंभ किए गए स्टार्टअप के लिये प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रूपये 3.50 लाख प्रतिवर्ष होगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(व्ही.एल. कान्ता राव)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 2-12/2016/अ-तेहत्तर भोपाल, दिनांक 27/04/2018

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन ..... (समस्त विभाग)।
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. आयुक्त जनसम्पर्क मध्यप्रदेश,भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम/ मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल।
8. समस्त सम्भागायुक्त,मध्यप्रदेश।
9. समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश।
10. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग